राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–7) विभाग

क्रमांकःप.1(6)गृह–7/2017 जयपुर, दिनांकः 18 MAY 2022

: आज्ञा :

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा राजस्थान गृह रक्षा सेवा के लिए चयनित निम्नांकित सफल अभ्यर्थी को राजस्थान गृह रक्षा सेवा में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद् द्वारा उप समादेष्टा के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	रोल नं0	अभ्यर्थी का नाम मय पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्ग
1.	02	502239	श्री हरवीर परिहार पुत्र श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	15.10.1976	GE,EX

यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है :–

1. यह नियुक्ति नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा सेवा नियम–1976 के अन्तर्गत की जा रही है तथा उक्त नियमों में विहित शर्तों के अन्तर्गत व समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों/परिपत्रों के अधिकथित निबंधनों एवं शर्तो के अध्यधीन है।
2. सेवा में नियुक्त अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की अवधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षो के भीतर त्याग–पत्र दे देता है या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्ध पत्र निष्पादित करेंगे।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प.14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (Schedule IV/Rule No. 16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जावेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित SLP No. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
4. संस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I के अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
5. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार देय होंगें।

D:\Home G-7 office work\Letter (R).doc

6. उक्त अभ्यर्थी द्वारा परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या 14 (GRADE PAY 5400) के अनुसार वेतन देय होगें।

7. उक्त अभ्यर्थी की जन्म तिथि वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्र में अंकित की है और जिसे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया है।

8. उक्त अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन Attestation Form में उल्लेखित सभी स्थानों से प्राप्त नहीं होने तक नियुक्ति प्रोविजनल मानते हुए चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि इनके विरूद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो इनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी।

9. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।

10. विवाहित अभ्यर्थी को अपना विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र, जीवित संतान/संतानों की सूचना एवं धूम्रपान नहीं करने संबंधी घोषणा उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं है, परन्तु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित संतान है एवं पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक संतान होने पर ऐसी संतानों को एक इकाई ही माना जायेगा।

11. उक्त अभ्यर्थी महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा राजस्थान जयपुर को नियुक्ति पत्र प्राप्ति के 15 दिवस में अपनी उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत कर इस विभाग को सूचित करेंगे। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेगें। यदि निश्चित अवधि में कार्यग्रहण नहीं किया गया अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति का इच्छुक नहीं है और उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेगें।

12. उक्त अभ्यर्थी के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य औपचारिकता शेष रहती है तो विभाग अपने स्तर पर पूर्ण करवायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(सीमा कुमार)
संयुक्त शासन सचिव,
गृह (आ.प्र.) विभाग

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय (गृह) राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को पत्र क्रमांक 1708 दिनांक 24.11.2021 के सन्दर्भ में।
6. महानिदेशक एवं महासमादेष्टा गृह रक्षा को लेख है कि उपस्थिति प्रस्तुत करते समय उक्त सभी से उक्त आज्ञा के बिन्दु संख्या 02 में उल्लेखित 'बन्ध पत्र', बिन्दु संख्या 10 के अनुसार विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवज जीवित संतान/संतानों की सूचना की सत्यापित प्रति प्राप्त करने तथा समस्त दस्तावेजों की जांच करने के उपरान्त ही इनकी उपस्थिति स्वीकार की जाकर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
7. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारी द्वारा-महानिदेशक एवं महासमादेष्टा गृह रक्षा।
11. वरि0 शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग-उक्त नियुक्ति आदेश विभागीय वेबसाईट पर **"SSO Appointment (Dy. Commandant, Home Guard) order May 2022"** शीर्षक से अपलोड करने हेतु।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव,
गृह (आपदा प्रबंधन)